राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद संख्या 4/2021 दायर दिनांकः– 08.01.2021

पीठासीन अधिकारीः–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. विजयराज गेलड़ा पुत्र अमरचन्द गेलड़ा, जाति जैन, निवासी बोरावड़, तहसील मकराना, जिला नागौर, राजस्थान।
2. ओमप्रकाश चौरडिया पुत्र पारसमल, जाति जैन, निवासी बोरावड़, तहसील मकराना, जिला नागौर, राजस्थान।
3. कैलाशचन्द जोगड़ पुत्र प्रेमराज, जाति जैन, निवासी बोरावड़, तहसील मकराना, जिला नागौर, राजस्थान।
4. बाबूलाल धारीवाल पुत्र नोरतमल, जाति जैन, निवासी छोटी खाटू, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।
5. राजेशचन्द भंडारी पुत्र श्रीपालचन्द भंडारी, जाति जैन, निवासी छोटी खाटू हाल निवासी एक्स/2064 ए, राजगढ कॉलोनी, गली नम्बर 4, गांधीनगर दिल्ली।
6. ललितचन्द भंडारी पुत्र श्रीपालचन्द भंडारी, जाति जैन, निवासी छोटी खाटू हाल निवासी एक्स/2064 ए, राजगढ कॉलोनी, गली नम्बर 4, गांधीनगर दिल्ली।

.......अपीलार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत पनेर, तहसीलर रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पनेर।

.......प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–17.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.25 16:15:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामनगर पटवार हल्का [illegible] तहसील रुपनगढ जिला अजमेर में 1. बीरमा पुत्र हरजी 2. रामेश्वर पुत्र हरजी 3. नोरता पुत्र हरजी [illegible] जाति [illegible]ट सर्वनिवासी ग्राम रामनगर तहसील रुपनगढ जिला अजमेर की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 218/3 नया खसरा नम्बर 815/218 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा यानि की हैक्टेयर में [illegible]7959 के [illegible] खातेदारों से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या [illegible] के पृष्ठ संख्या 191 से 197 तक पर चस्पा किया जाकर पंजीबद्ध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय पत्र की प्रति नामान्तरण खुलवाये जाने हेतु हल्का पटवारी को दे दी थी, हल्का पटवारी ने आश्वस्त किया था कि आपका विक्रय का नामान्तरण खुल जायेगा तथा विक्रय पत्र में उल्लेख किये गये अपीलार्थीगण के नाम के अनुसार हिस्से नामान्तरण में दर्ज हो जायेंगे। आप निश्चिंत रहे। हल्का पटवारी के आश्वासन पर अपीलार्थीगण निश्चिंत हो गये। अपीलार्थीगण विक्रय पत्र में उल्लेखित हिस्से के अनुसार नामान्तरण खुल जाने के संबंध में निश्चिंत हो गये कि नामान्तरण उसके नाम खुल गया है और इस बाबत् अपीलार्थीगण भी निश्चिंत हो गये कि विक्रय पत्र के अनुसार ही नामान्तरण खुल जायेगा, लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा पहले दिनांक 17.09.2020 को अपने नामान्तरण की नकल निकलवायी जो अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई की अपीलार्थीगण का नामान्तरण तो खुल गया लेकिन नामान्तरण में हिस्सों का उल्लेख दिनांक 19.04.2012 के विक्रय पत्र के अनुसार नही हुआ। वहीं नाम तो सभी अपीलार्थीगण के खुल गया लेकिन हिस्से विक्रय पत्र के अनुसार नही होकर समान रुप से सभी के 1/6 हिस्सा दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

दिया गया जबकी अपीलार्थीगण क्रमशः विजयराज गेलड़ा का हिस्सा 40/222, ओमप्रकाश चौरडिया का हिस्सा 40/222, कैलाश चन्द जोगड़ का हिस्सा 20/222, बाबूलाल धारीवाल का हिस्सा 22/222, राजेश चन्द का हिस्सा 50/222 एवं ललितचन्द का हिस्सा 50/222 का सही एवं वास्तविक हिस्से दर्ज नही किये गये तथा नामान्तरण में दर्ज हिस्से गलत है। नामान्तरण संख्या 119 प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.05.2012 को स्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरण संख्या 119 की नकल दिनांक–17.09.2020 को लेने पर जानकारी हुई की पटवारी हल्का द्वारा दिनांक–01.05.2012 को नामान्तरण भर जांच कर दी गई। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट का अंकन इसी प्रकार है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार विक्रेतागण के स्थान पर क्रेतागण के नाम पर क्रय भूमि का नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं उचित आदेशार्थ पेश है। वहीं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक–01.05.2012 को नामान्तरण के समस्त अंकन दुरुस्त होने के लिए दी गई जो इस प्रकार है–जमाबंदी एवं विक्रय पत्र के अनुसार अंकन सही है। आदेश भू–अभिलेख निरीक्षक दिनांक–03.05.2012 के अंकन सही है। ग्राम पंचायत पनेर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा हल्का पटवारी व गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक) की रिपोर्ट करने के पश्चात् प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक–05.05.2012 को ग्राम पंचायत भवन के बैठक में स्वीकृत किया गया का पृष्ठांकन करते हुए नामान्तरण संख्या 119 को दिनांक–05.05.2012 को स्वीकृत कर दिया जो विक्रय पत्र के अनुसार उल्लेखित हिस्सों का सही इन्द्राज नामान्तरण में नही होने के कारण गलत, विधि विरुद्ध व शुन्य है। अपीलार्थीगण के नाम बैचान के रुपान्तरण में हिस्से गलत रुप से होने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उक्त नामान्तरण गलत स्वीकृत किया गया। दिनांक 17.09.2020 को अपीलार्थीगण द्वारा अपने नामान्तरण की नकल लेने पर अपीलार्थीगण को जानकारी हुई की अपीलार्थीगण विक्रय की गई भूमि के खाते में विक्रय पत्र में उल्लेखित हिस्सों के अनुसार सही एवं वास्तविक हिस्सों का नामान्तरण दर्ज नही हुआ। अपीलार्थीगण का सही एवं वास्तविक हिस्सा जिसका विक्रय पत्र में उल्लेख था उसके अनुसार नामान्तरण में हिस्सा दर्ज नही हुआ। नामान्तरण में त्रुटि रह गई जिसके कारण सभी अपीलार्थीगण का हिस्सा गलत रुप से 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 नामान्तरण में दर्ज हो गया जिसके कारण यह नामान्तरण गलत, विधि विरुद्ध व शुन्य है। नामान्तरण संख्या 119 दिनांक 05.05.2012 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार अपीलार्थीगण के हिस्से शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अ[illegible] अपी[illegible] की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 815/218 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा यानि 1.7959 हैक्टेयर भूमि में अपीलार्थी संख्या 1 विजयराज गेलड़ा का हिस्सा 40/222, अपीलार्थी संख्या 2 ओमप्रकाश चौरडीया का हिस्सा 40/222, अपीलार्थी संख्या 3 केलाशचन्द जोगड़ का हिस्सा 20/222, अपीलार्थी संख्या 4 बाबूलाल धारीवाल का हिस्सा 22/222, अपीलार्थी संख्या 5 राजेशचन्द भंडारी का हिस्सा 50/222 एवं अपीलार्थी संख्या 6 ललितचन्द भंडारी का हिस्सा 50/222 दर्ज करने के आदेश [illegible] है। उक्त विक्रय पत्र बाबत् पूर्व में दर्ज ग्राम रामनगर के नामान्तरण संख्या 119 स्वीकृत दिनांक 05.05.2012 को निरस्त किया जाता है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीबद्ध दिनांक–19.04.2012 जिल्द संख्या 83 क्रम संख्या 91 पृष्ठ संख्या 41 अनुसार नवीन नामान्तरकरण दर्ज कर नियमानुसार स्वीकृत करवाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.25 16:15:11 IST
Reason: SelfAttested